# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 13 सन 2019
अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र तुलछाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 10/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 573/485 के खसरा न0 445 की 4.4260हैक्‍ खसरा न0 938 की 3.6670हैक्‍ कुल 8.0930हैक्‍ भूमि जिसमें प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजकुमार है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम राजकुमार दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से राजेन्द्र कुमार दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा वादी के सही नाम से सम्बध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी का सही नाम राजकुमार है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 573/485 के खसरा न0 445 की 4.4260हैक्‍ खसरा न0 938 की 3.6670हैक्‍ कुल 8.0930हैक्‍ में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजकुमार संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत होने के सम्बध में साक्ष्य सबुतों के आधार पर नाम राजस्व रिकार्ड में राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 573/485 के खसरा न0 445 की 4.4260हैक्‍ खसरा न0 938 की 3.6670हैक्‍ कुल 8.0930हैक्‍ भूमि जिसमें प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजकुमार है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम राजकुमार दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से राजेन्द्र कुमार दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सिरगसर द्वारा वादी के सही नाम से सम्बध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी का सही नाम राजकुमार है प्रार्थी का नाम संशोधन करने से कोई राज्यहित प्रभावीत नही होते बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 573/485 के खसरा न0 445 की 4.4260हैक्‍ खसरा न0 938 की 3.6670हैक्‍ कुल 8.0930हैक्‍ में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजकुमार संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रार्थी का नाम साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाना स्वीकार है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 573/485 के खसरा न0 445 की 4.4260हैक्‍ खसरा न0 938 की 3.6670हैक्‍ कुल 8.0930हैक्‍ भूमि में प्रार्थी मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार दर्ज है एव नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम राजकुमार है सहवन से राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र कुमार दर्ज हो गया है जिसे संशोधन करवाकर राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजकुमार दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी के द्वारा अपना परिवार राशन कार्ड ,आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र ,राजस्थान सरकार का भामाशाह कार्ड पेश किया है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजकुमार दर्ज है सरपंच ग्राम पचायत मन्द्रपुरा के द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि प्रार्थी ग्राम मन्द्रपुरा का रहने वाला है राजेन्द्र कुमार एवं राजकुमार एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम राजकुमार है राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है। इसीप्रकार पेरोकार राज नें भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाने पर कोई ऐतराज नही है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरंपच ग्राम पंचायत मन्द्रपुरा के प्रमाण पत्र प्रार्थी का नाम राजकुमार होना प्रतीत होता है नाम संशोधन से राज्यहक प्रभावित नही होते है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत सिरगसर के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 573/485 के खसरा न0 445 की 4.4260हैक्‍ खसरा न0 938 की 3.6670हैक्‍ कुल 8.0930हैक्‍ में प्रार्थी नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र तुलछाराम दर्ज है के स्थान पर राजकुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )